तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
27/2/19	अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल हो। वास्ते बहस प्रार्थना पत्र पत्रावली 19/03/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी	
19/3/19	पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली दिनांक 5/5/19 को पेश हो।	
5/5/19	अप्रार्थी अधिवक्ता उप.। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/05/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी	
18/5/19	पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली दिनांक 1/6/19 को पेश हो।	
1/6/19	उभयपक्ष अधिवक्ता उप.। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने ~~जैसलमु~~ दौरान ए बहस बताया कि मौके पर ख. न. 21, जिसका रकबा 75 बीघा है अप्रार्थी द्वारा लगभग 20-25 बीघा भूमि पर नाजायज तरीके से प्रार्थी कि तारबंदी को तोड़कर अपनी नई तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अप्रार्थी के पास अप्रार्थी द्वारा कि गई ~~जैसलमेर को~~ तारबंदी की जमाबंदी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पश्चात प्रार्थी अधिवक्ता बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस सुनाई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उनके द्वारा तारबंदी सन् 2014 में गई यदि उनके द्वारा किसी तरह का अतिक्रमण किया हुआ है तो प्रार्थी द्वारा उसी वक्त दावा क्यों नहीं पेश किया गया सन 2018 में 4 वर्ष पश्चात क्यों दावा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता की इस ~~बा~~ बात का खण्डन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा ख. न. 21, रकबा 75 बीघा पर किसी तरह का अतिक्रमण किया हुआ है।	

उभयपक्ष/अधिवक्ताओं की बहस पर मय बयान व दस्तावेजों का अवलोकन कर यह आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष (प्रार्थी व अप्रार्थी) मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किए जाते हैं कि ग्राम रिण पटवार हल्का मनार तहसील फलोदी में स्थित खसरा नं. 211, रकबा 75 बीघा भूमि में नजरी नक्शा में मार्क A, B, C, D व E भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण, तारबंदी इत्यादि ना करें। प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों पक्ष मौके पर एक-दूसरे के बीच किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे और न ही किसी से करवायेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी